4/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतीकेन अनुपस्थित। वादी एवं वकील वादी को न्यायालय समय में एक एक कर तीन मर्तबा आवाज लगवाई गई लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। वकील वादी को तलबी पेश करने हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के बाद भी तलबी नोटिस पेश नहीं किये गये हैं। न्यायालय आदेश 9 नियम 3 व 5 सीपीसी में खारिज करना उचित समझता है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद वकील वकील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़